5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES Rs.5

(144)

समक्ष राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /15 पुर्नरीक्षण राजस्व

निगरानी 2389-PBR-15

दिनांक 27-7-15 को श्री प्रमोद गोइन्द एड. कोटा द्वारा प्रस्तुत। 27.7.15 SO

नारायण प्रसाद शर्मा आयु 70 वर्ष पुत्र श्री बालमुकुन्द शर्मा निवासी– ग्राम लुकवासा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी, (म.प्र.)

.........आवेदक

बनाम

1. प्रेम नारायण शर्मा आयु–75 वर्ष, पुत्र बालमुकुन्द शर्मा, निवासी– ग्राम लुकवासा, हालनिवासी– एल.आई.जी. प्रथम 28, रामकृष्णपुरम् हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, साईंस कॉलेज के पास, शिवपुरी म.प्र.

27/7/15 प्रमोद गोइन्द

2. हरिवंश कुमार शर्मा आयु – 68 वर्ष, पुत्र श्री बालमुकुन्द शर्मा निवासी– ग्राम लुकवासा, हालनिवासी– रामकृष्णपुरम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, एल.आई.जी. द्वितीय 121, 122, साईंस कॉलेज के पास, शिवपुरी म.प्र.

3. शिवकुमार शर्मा पुत्र माधवचरन शर्मा 50 वर्ष, निवासी– सूबत चौकी, पुलिस प्रभारी तहसील चंदेरी जिला अशोक नगर, म.प्र.

– अनावेदकगण

4. नरहरी प्रसाद उर्फ भोला पुत्र श्री माधवचरण आयु– 45 वर्ष,

5. उदय कुमार उर्फ गुड्डा पुत्र माधव चरण शर्मा आयु–42 वर्ष,

(3)

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

6. गोपाल पुत्र माधवचरन आयु-- 32 वर्ष, निवासी- लुकवासा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी म.प्र.

7. श्रीमती विजय लंक्ष्मी पुत्री माधवचरन आयु--52 वर्ष, निवासी-पी.एच.क्यू. लाईन क्वाटर नम्बर 27 पुरानी शिवपुरी (मध्यप्रदेश)

8. नंद कुमार पुत्र प्रेम नारायण निवासी-- ग्राम लुकवासा हाल निवासी- एल.आई. जी. प्रथम 28 रामकृष्ण पुरम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सांईस कॉलेज के पास, शिवपुरी म.प्र. तरतीबी...अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1950 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.07.15 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म.प्र. प्रकरण क्रमांक 75/14-15 अपील।

श्रीमान जी,

सेवा में आवेदक की ओर से पुर्नरीक्षण याचिका निम्नलिखित प्रस्तुत हैः--

1. यहकि, ग्राम रिजौदा तहसील कोलारस जिला शिवपुरी के भूमि खसरा कमांक 537 रकवा 11 वीघा 4 विस्वा तथा 543 रकवा 12 विस्वा रकवा 7 विस्वा बन्दोवस्त के पूर्व तथा बन्दोवस्त के पश्चात् भूमि खसरा क्रमांक 403 हुआ। तथा इस भूमि खसरा कमांक के वटे कमांक 403/1, 403/2, 403/3 तथा 403/4 यह भूमि आवेदक तथा अनावेदकगण की पैत्रिक सम्पत्ति है। जिसमें आवेदक का हिस्सा 1/4 है।

2. यहकि, उक्त भूमिम आवेदक के बाबा किशोरीलाल के स्वामित्व व आधिपत्य की थी। उनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि आवेदक के पिता

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

...रण क्रमांक- निग./2389/पीबीआर/2015 जिला- शिवपुरी

नारायण प्रसाद विरूध प्रेम नारायण आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28/5/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील कोलारस जिला शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक- 75/2014-15/अपील में पारित आदेश दिनांक 21/07/2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 28/5/19 सदस्य	